प्रथम सूचना रिपोर्ट (अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1.	जिला- जयपुर, थाना- प्रधान आरक्षी केंद्र, भ्र0 नि0 ब्यूरो जयपुर, वर्ष-2022 प्र0इ०रि० सं
2.	(I) अधिनियम: - धारा ७ भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018
	(॥) अधिनियम धारायें
	(III) अधिनियम धारायें
	(IV) अन्य अधिनियम एवं धारायें भा ०दं 0सं0
(अ)	रोजनामचा आम रपट संख्या? समय
	(ब) अपराध घटने का दिन- शुक्रवार, दिनांक 12.08.2022 समय 05.09 पीएम
	(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक08.08.2022
4.	सूचना की किस्म :- लिखित /मौखिक- लिखित
5. E	ाटनास्थल:- संस्कार स्कुल के सामने, खिरणी पाटक की तरफ जाने वाली साईड, विश्वमित्र
	मार्ग, हनुमान नगर विस्तार, जयपुर
(अ)पु	लिस थाना से दिशा व दूरी:-बजानिब उत्तर दिशा करीब 15 कि0मी0
	(ब) बीट संख्याजयरामदेही सं
	(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
	पुलिस थानाजिला
6.	(i)परिवादी /सूचनाकर्ता :-
	(अ) नाम-श्री मनोज शर्मा
	(ब) पिता/पित का नाम-श्री दीनानाथ शर्मा
	(स) जन्म तिथी- उम्र ४३ साल
	(द) राष्ट्रीयता - भारतीय
	(य) पासपोर्ट संख्याजारी होने की तिथि
	जारी होने की जगह
	(र) व्यवसाय- प्राईवेट जॉब रोशन हुण्डई शोरूम एस-4, श्याम नगर जयपुर।
	(ल) पता- मकान नम्बर 206, फ्रेंडस कोलोनी, निवारू लिंक रोड़, कालवाड़ रोड़
	गोविन्दपुरा, जयपुर।
	ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित:-
	ोमती जया कंवर शेखावत पुत्री महेन्द्र सिंह शेखावत उम्र 37 साल निवासी सी-138, सिंह
100	मि, खातीपुरा, पुलिस थाना वैशाली नगर, जयपुर हाल निरीक्षक कार्यकारी, कार्यालय उप जस्ट्रार सहकारी समितियां, जयपुर शहर।
8.	परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :
9.	चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त
	पन्ना लगार्य)
	चुराई हुई/ लिप्त सम्पत्ति का कुल मुल्य- कुल 15,000/-रू0
11.	पंचनामा/ यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो)

12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षितहो तो अतिरिक्त पन्ना लगार्ये):-

प्रकरण के हालात इस प्रकार से निवेदन है कि दिनांक 08.08.2022 को मन् उप अधीक्षक पुलिस को श्री हिमांशु, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर तृतीय ने अपने कार्यालय कक्ष में बुलाकर अपने सामने बेठे व्यक्ति श्री मनोज शर्मा से परिचय करवाकर उसके द्वारा पेश हस्तलिखित प्रार्थना पत्र मन् उपअधीक्षक पुलिस के नाम मार्क करते हुए अग्रिम कार्यवाही हेतु सुपुर्द किया। इस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस ने श्री मनोज शर्मा को अपने कार्यालय कक्ष में लेकर आया। उक्त व्यक्ति से उसका नाम-पता पूछने पर उसने अपना नाम मनोज शर्मा पुत्र श्री दीनानाथ शर्मा उम्र 43 साल निवासी मकान नम्बर 206, फ्रेंडस कोलोनी, निवारू लिंक रोड़, कालवाड़ रोड़ गोविन्दपुरा, जयपुर का होना बताया, जिसने अपने हस्तलिखित एक प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि ''सेवा में श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर-IIIrd जयपुर विषय- रिश्वत मॉॅंगने वाले के खिलाफ कानूनी कार्यवाही कराने के सम्बन्ध में, महोदय, निवेदन है कि मैं मनोज शर्मा पुत्र श्री दीनानाथ शर्मा उम्र 43 साल निवासी 206, friends colony niwaru link road kalwad road jaipur वर्तमान में Roshan Hyundai S-4shyam nager काम करता हूं। मैने 2010 में स्टार्लिंग अरबन को-आपरेटिव बैंक से मकान पर 9,50,000 का लोन लिया था जिसकी मैने नियमित रूप से किस्त जमा कराई है लेकिन नवम्बर 2021 से आर्थिक स्थिति बिगड जाने के कारण 9 किस्त बकाया हो गयी उसके बाद मैने 2-किस्त एक साथ जुलाई 2022 मे जमा करा दी, लेकिन बैंक और उप सहकारी समिति रजिस्ट्रार ऑफिस से मुझ पर बकाया पुरा पैसा 6,22,000/ जमा कराने का दबाव बनाया जा रहा है लेकिन वर्तमान में मेरी आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण इतना पैसा एक साथ जमा कराने मे असमर्थ हूँ मेरे द्वारा अनुरोध किया गया कि में धीरे धीरे सारी किस्त जमा करा दुंगा लेकिन उसके बावजूद भी मेरे मकान की कुर्की के नोटिस निकाल दिये गये नोटिस प्राप्त होने बाद मैने निस्पादन अधिकारी जयाकंवर शेखावत से सम्पर्क कर कुर्की आदेश के अनुसार पैसे की व्यवस्था के लिए कुछ समय देने की मांग की तो निस्पादन अधिकारी ने समय देने के बदले मुझसे रिश्वत के रूप मे 25000/-की मॉग की और कहा कि आप अभी मुझे 25000 रू दे दो तो मैं कुछ समय के लिए कुर्की रूकवा सकती हुं श्रीमान जी से निवेदन है कि मैं रिश्वत के रूप मे कोई पैसा नहीं देना चाहता हूँ अतः आपसे निवेदन है कि उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करे। SD मनोज शर्मा मनोज शर्मा S/O दीनानाथ शर्मा 206, friends colony niwaru link road kalwad road Govindpura jaipur Mob 7230022500'' प्रस्तुत की गई। मन् उपअधीक्षक को परिवादी ने दरियाफ्त पर बताया कि उक्त प्रार्थना पत्र मेरे स्वयं द्वारा हस्तलिखित है तथा मेरा श्रीमती जया कंवर शेखावत निष्पादन अधिकारी से किसी भी प्रकार का रूपयो पैसो का लेन-देन बकाया नही है और न ही किसी प्रकार की रंजिश है। मैं श्रीमती जया कंवर शेखावत से कुर्की नोटिस जारी होने के पश्चात् आवासीय ऋण का भूगतान करने के लिए कुछ समय देने के लिए मिला था। मैं, श्रीमती जया कवंर शेखावत को रिश्वती राशि नहीं देना चाहता हूं और रिश्वत लेते हुए पकड़वाना चाहता हूं। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अवलोकन एवं मजीद दरियाफ्त से मामला प्रथम दृष्टया रिश्वत मांग का पाया जाने पर रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया जाना आवश्यक है। सत्यापन से जैसी सूरत होगी वैसी कार्यवाही की जावेगी। मन् उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी श्री मनोज शर्मा से ब्यूरो द्वारा करवाई जाने वाली मांग सत्यापन के विषय में अवगत कराया तो परिवादी ने कहा कि मैं जया शेखावत जी से सम्पर्क कर उनसे मिलने की बात कर उनके कार्यालय में जाकर रिश्वत सम्बंधी वार्ता कर मांग सत्यापन की कार्यवाही करवा दूंगा। मन् उपअधीक्षक पुलिस ने श्री नमोनारायण कानि. नं. 453 को अपने कार्यालय कक्ष में बुलाकर परिवादी मनोज शर्मा व कानि0 का आपस में परिचय करवाया जाकर कानि. श्री नमोनारायण से कार्यालय के मालखाना से विभागीय डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर व नया मैमोरी कार्ड मंगवाया एवं मैमोरी कार्ड खाली होना सुनिश्चित कर परिवादी को डिजीटल वाईस रिकॉर्डर को चालू व बन्द करने की प्रक्रिया नियमानुसार समझाकर श्री

fin

नमोनारायण कानि0 को वाईस रिकार्डर सुपुर्द कर नियमानुसार रिश्वत मांग सत्यापन की कार्यवाही करने की हिदायत दी गई। समय 3.00 पीएम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस को परिवादी ने संदिग्ध को कॉल कर मिलने के सम्बंध वार्ता करने के लिए कहा, तो श्री नमोनारायण कानि0 से वाईस रिकार्डर चालु करवाकर परिवादी के मोबाईल नम्बर 7230022500 से संदिग्ध श्रीमती जया शेखावत के मोबाईल नम्बर 8619088323 पर दो बार ऑपन स्पीकर कर कॉल करवाया तो फोन रिसीव नही किया। समय 03.11 पीएम पर परिवादी के मोबाईल पर संदिग्ध श्री जया कवंर शेखावत ने मोबाईल नम्बर 6378316968 से व्हाट्सअप कॉल किया, जिसको कानि० श्री नमोनारायण द्वारा वाईस रिकार्डर चालु कर रिकार्ड किया था। उक्त वार्ता में "परिवादी से बकाया ऋण को बैंक में जमा कराने संबंधी वार्ता कर संदिग्ध श्रीमती जया कंवर शेखावत ने परिवादी को मंगलवार की छुट्टी होना बताकर बुधवार को कार्यालय में बुलाया है''। दिनांक 10.08.2022 समय 12 एएम पर श्री नमोनारायण कानि0 नं0 453 को वाईस रिकार्डर सुपुर्द कर परिवादी के पास रवाना कर मांग सत्यापन की कराया गया। उक्त मांग सत्यापन में श्री नमोनारायण कानि0 ने समय 01.05 पीएम पर परिवादी को वाईस रिकार्डर चालु कर सुपुर्द कर रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता हेतु संदिग्ध श्रीमती जया कवंर शेखावत के कार्यालय उपरजिस्ट्रार सहकारी समितियां जयपुर शहर भेजा तथा परिवादी का संदिग्ध अधिकारी से मिलकर वापस आने पर समय करीबन 2.32 पीएम पर कानि0 ने वाईस रिकार्डर प्राप्त कर बंद कर सुरक्षित अपने पास रखा और परिवादी के साथ रवाना होकर ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आया। मन् उपअधीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी से पूछा तो परिवादी ने बताया कि "मेरे से जया कंवर शेखावत ने मेरे ड्यू लोन को जमा कराने, प्लॉट की कुर्की के सम्बंध में इन्फोर्म करने एवं लगातार किश्ते जमा कराने सम्बंधित वार्ता कर मुझे कहा कि आप फोन पर ही शुरू हो जाते हो और फसाने के काम करते हो इस पर मेरे द्वारा फोन पर बात नहीं करने व मिलकर बात करने व मेरे द्वारा रिश्वत राशि कम करने की रिक्वेस्ट करने पर मैडम जया शेखावत ने कहा कि आपको लगे मैडम सपोर्ट कर रही है तो जितना हो सके उतना कर दो बाकी लास्ट में कर देना कहा तो मेरे द्वारा पन्द्रह हजार की कहने पर उन्होने कहा कि बाकी बाद में कर देना इस पर मेरे द्वारा मकान का सौदा होने पर देने की बोला तो श्रीमती जया कवंर शेखावत ने एटीम पर जाकर रूपये निकालने व अभी देने के लिए कहा तो मैंने उनको मेरे पास दो तीन हजार रूप्ये होना बताया इस पर उन्होने कहा ऐसे नहीं चलेगा, जिस पर मेरे द्वारा परसो देने की कहने पर जया जी ने कल दिनांक 11.08.2022 को समय 11-11.30 बजे झारखण्ड महादेव मंदिर के पास मिलने की बोला है। मेरे द्वारा जया जी को पन्द्रह हजार करने की कहने पर उन्होंने "ट्वन्टी ट्वन्टी" करने की बोलकर मुझसे 20,000/-रूप्ये की मांग की गई परन्तु मेरे द्वारा असमर्थता जताई जाने पर उन्होने बाद में हो जाये तो देख लेना कहकर शेष बाद में देने की बात कही है। जया जी ने मुझे 15,000/- रूप्ये लेकर कल झारखण्ड महादेव मन्दिर वैशाली नगर के पास समय 11-11.30 एएम पर बुलाया है इत्यादी वार्ता हुई है।" इस पर मन् उपअधीक्षक पुलिस ने वाईस रिकार्डर को चलाकर सुना गया तो परिवादी के कथनो की ताईद हुई। मुताबिक रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता से आरोपिया द्वारा परिवादी से रिश्वत की मांग करना पुष्टि होने पर दिनांक 11.08.2022 को ट्रेप कार्यवाही के आयोजन करने का निर्णय लिया गया। मन् उपअधीक्षक पुलिस ने वाईस रिकार्डर को सुरक्षित कार्यालय की आलमारी में तालाबंद किया। पाबंदशुदा स्वतंत्र गवाहन क्रमशः श्री नमोनारायण मीणा, कनिष्ठ सहायक, सर्तकता शाखा, नगर निगम ग्रेटर जयपुर एवं श्री हेमचन्द कुमावत, फायरमेन, तहसीलदार शाखा, नगर निगम ग्रेटर जयपुर ब्यूरो कार्यालय आये, जिनसे मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा दोनो स्वतंत्र गवाहन से गोपनीय कार्यवाही में सम्मलित होने की सहमित चाही तो दोनो स्वतंत्र गवाहन ने अपनी अपनी सहमित प्रदान की गई। मन् उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी को दिनांक 11.08.2022 को रिश्वती राशि के 15000/- रूपये लेकर कार्यालय में उपस्थित आने की कहने पर परिवादी ने कल रक्षाबंधन का त्यौहार होने एवं पारिवारिक कार्यक्रम के चलते कल रिश्वत लेन-देन की कार्यवाही में उपस्थित होने में असमर्थता प्रकट की और लेन-देन की कार्यवाही दिनांक 12.08.2022 को करवाने के लिए उपस्थित होना बताया, जिस पर हालात उच्चाधिकारियो को निवेदन कर ट्रेप कार्यवाही दिनांक 12.08.2022 को कर्ने का निर्णय

लिया तथा परिवादी को दिनांक 12.08.2022 को रिश्वत राशि के 15000/- रूपये लेकर ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित होने की मुनासिब हिदायत कर रूखसत किया तथा स्वतंत्र गवाहन को भी 12.08.2022 को कार्यालय समय पर उपस्थित आने की हिदायत देकर ब्यूरो कार्यालय से रूखसत किया। दिनांक 12.08.2022 को ब्यूरो कार्यालय में परिवादी, दोनो स्वतंत्र गवाहन व ब्यूरो कार्यालय स्टाफ उपस्थित आ चुके है। समय 10.31 एएम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस को परिवादी ने श्रीमती जया कंवर शेखावत के कॉल आने व डिस्कनेक्ट होने की बताने पर श्री नमोनारायण कानि0 को कार्यालय की आलमारी से वाईस रिकार्डर निकालकर सुपुर्द किया। परिवादी के मोबाईल नम्बर 7230022500 से संदिग्ध श्रीमती जया कवंर शेखावत के मोबाईल नम्बर 8561904396 पर ऑपन स्पीकर कराकर कॉल करवाया गया तो ''परिवादी ने श्रीमती जया कंवर शेखावत से आदेश करने सम्बंधी वार्ता की तो संस्कार स्कुल, हनुमान नगर एक्सटेंशन के पास 12 बजे मिलने का तय हुआ।'' उक्त वार्ता वाईस रिकार्डर में रिकार्ड की गई। परिवादी श्री मनोज शर्मा के आकस्मिक आवश्यक कार्य आ जाने के कारण कुछ देर के लिए ब्यूरो कार्यालय से बाहर गये तथा समय 12. 30 पीएम पर ब्यूरो कार्यालय आये। समय 12.48 पीएम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस को परिवादी ने श्रीमती जया कंवर शेखावत का मिस कॉल आने से अवगत कराया तो मन् टीएलओ ने श्री नमोनारायण कानि0 से वाईस रिकार्डर चालु करवाकर परिवादी के मोबाईल नम्बर 7230022500 से संदिग्ध श्रीमती जया शेखावत के मोबाईल नम्बर 8561904396 पर ऑपन स्पीकर कराकर कॉल करवाया गया तो ''परिवादी ने श्रीमती जया कंवर शेखावत से पुनः 4.30 पीएम पर मिलने का तय हुआ। '' उक्त वार्ता की आईन्दा फर्द ट्रान्सिकप्ट तैयार की जायेगी। मन् उपअधीक्षक पुलिस ने कानि० श्री नमोनारायण से वाईस रिकार्डर प्राप्त कर अपने पास सुरक्षित रखा। तत्पश्चात् मन् उपअधीक्षक पुलिस ने परिवादी श्री मनोज शर्मा का पूर्व से उपस्थित दोनो स्वतंत्र गवाहन श्री नमोनारायण मीणा व श्री हेमचन्द कुमावत का आपस में परिचय करवाया। स्वतंत्र गवाहन को आज की जाने वाली ट्रेप कार्यवाही से अवगत कराकर परिवादी श्री मनोज शर्मा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पढवाया जाकर दोनो स्वतंत्र गवाहन के हस्ताक्षर करवाये। समय 2.15 पीएम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस ने स्वतंत्र गवाहन श्री नमोनारायण मीणा कनिष्ठ सहायक व श्री हेमचन्द कुमावत, फायरमेन के समक्ष परिवादी श्री मनोज शर्मा पुत्र श्री दीनानाथ शर्मा निवासी मकान नम्बर 206, फ्रेंडस कोलोनी, निवारू लिंक रोड, कालवाड़ रोड़ जयपुर को आरोपिया श्रीमती जया कंवर शेखावत को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने के लिए कहा गया, जिस पर परिवादी श्री मनोज शर्मा ने अपने पास से 500-500 रूपये के 30 नोट भारतीय मुद्रा के कुल राशि 15000/-रूपये निकालकर, गवाहान के समक्ष मन उप अधीक्षक पुलिस को पेश किये, उक्त नोटों का विवरण फर्द में अंकित किया। उपरोक्त सभी 500-500 रूपये के प्रचलित भारतीय मुद्रा के नोटों कुल राशि 3000/-रूपये पर फिनोफ्थीलन पाउडर लगवाने हेतु दोनों स्वतन्त्र गवाहन व परिवादी श्री मनोज शर्मा के समक्ष श्री रजनीश कानि0 नं0 228 भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर चतुर्थ, जयपुर से कार्यालय हाजा की आलमारी में से फिनोफ्थीलन पाउडर की शीशी निकलवाकर एक अखबार पर फिनोफ्थलीन पाउडर डलवाकर नियमानुसार उक्त सभी नोटों पर लगवाया गया तथा परिवादी श्री मनोज शर्मा की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाहन श्री हेमचन्द कुमावत से लिवाई जाकर उसके पास उसके मोबाईल के सिवाय अन्य कोई वस्तु नहीं रहने दी गई। तत्पश्चात फिनोफ्थलीन पाउडर लगे उक्त नोट सीधे ही श्री रजनीश कानि0 से परिवादी श्री मनोज शर्मा की पहनी हुई पेन्ट की बांये तरफ आगे की जेब में रखवाये गये तथा परिवादी को हिदायत दी गई कि वह इन नोटों को अनावश्यक रूप से नहीं छुये व संदिग्ध आरोपी द्वारा मांगने पर ही उक्त नोट जेब से निकालकर उसे रिश्वत के रूप में देवें। परिवादी को हिदायत दी गई कि आरोपी द्वारा रिश्वत लेने के पश्चात् अपने सिर पर हाथ फेरकर या अपने मोबाईल फोन से मन् उपअधीक्षक के मोबाईल नम्बर 9414141484 पर मिस कॉल कर मुझे व ट्रेप पार्टी को ईशारा करें एवं रिश्वत राशि को कहां रखता है यह भी ध्यान रखें एवं साथ ही स्वतन्त्र गवाहान को हिदायत दी गई कि वे यथा सम्भव परिवादी के आस-पास रहकर रिश्वत के लेन-देन को देखने व दोनों के मध्य होने वाली वार्ता को सुनने का प्रयास करें। इसके बाद स्वतंत्र गवाहान व परिवादी श्री मनोज शर्मा को फिनोल्पथलीन

from

पाउडर व सोडियम कार्बोनेट की आपसी रासायनिक प्रक्रिया के बारे में विस्तार से दृष्टान्त देकर समझाने के लिए नये कांच के एक गिलास में साफ पानी मंगवाकर उसमें सोडियम कार्बोनेट पाउडर का घोल तैयार करवाकर उपस्थितगणों को दिखाया गया घोल का रंग रंगहीन रहा, उसके बाद श्री रजनीश कानि0 जिसने नोटों पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाया था के हाथों की अंगुलियों को उक्त सोडियम कार्बोनेट पाउडर के घोल में डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया, जिसके बारे में उपस्थित गवाहान व परिवादी को समझाया गया कि जो भी इन पाउडर लगे नोटों को हाथ लगायेगा या छुयेंगा तो उसके हाथ इस प्रक्रिया के अनुसार धुलवाने से पानी का रंग गुलाबी हो जावेगा। तत्पश्चात उस अखबार को जिस पर रखकर नोटों पर फिनोलपथलीन पाउडर लगवाया था, को जलवाकर नष्ट करवाया गया। श्री रजनीश कानि0 से गुलाबी घोल को बाहर फिकवाकर फिनोल्पथलीन पाउडर की शीशी को वापस कार्यालय की अलमारी में रखवाकर श्री रजनीश कानि0 के हाथों को तथा गिलास को साबुन व पानी से अच्छी तरह साफ करवाया जाकर गिलास को कार्यालय में ही छोड़ा गया। ट्रेप पार्टी के सदस्यों व गवाहान की एक दूसरे से तलाशी लिवाये जाने पर किसी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु या दस्तावेज आदि नहीं छोडे गये। ट्रेप कार्यवाही में काम आने वाली कांच की शीशीयां, नये गिलास, चम्मच आदि को साबुन व साफ पानी से धुलवाकर साफ करवाये जाकर सुखने के उपरान्त ट्रेप बॉक्स में रखवाये गये तथा ट्रेप पार्टी के समस्त सदस्यों के हाथ साबुन व पानी से अच्छी तरह धुलवाकर साफ करवाये गये। रिश्वत राशि लेन-देन के समय संदिग्ध आरोपिया से होने वाली बातचीत को रिकार्ड करने हेत् परिवादी को डिजीटल वाईस रिकार्डर को चालू व बन्द करने (ऑपरेट करने) की विधि परिवादी को पुनः समझाई गई व रिश्वत लेनदेन के वक्त आरोपी से आपस में होने वाली वार्ता को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करके पेश करने के निर्देश दिये गये। उक्त डिजीटल वाईस रिकॉर्डर श्री नमोनारायण कानि. नं0 453 को सुपूर्व कर हिदायत की गई कि परिवादी जब संदिग्ध आरोपी के पास जाये उससे पूर्व डिजिटल वाईस रिकार्डर को चालू करके परिवादी को सुपूर्व करें। संदिग्ध को दी जानी वाली रिश्वती राशि के नोटो पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाने वाले श्री रजनीश कानि0 को कार्यालय में छोडा गया। उक्त समस्त कार्यवाही की फर्द पेशकशी नोट व दृष्टान्त फिनोल्फ्थलीन पाउडर व सोडियम कार्बोनेट पाउडर एवं सुपुदर्गी डिजीटल वाईस रिकार्डर हस्ब कायदा पृथक से तैयार की जाकर सम्बंधितो के हस्ताक्षर कराये गये। समय 3.40 पीएम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस राजेन्द्र कुमार मीणा, श्री हिमांशु अति. पुलिस अधीक्षक भ्र.नि.ब्यूरो, जयपुर नगर तृतीय, जयपुर के निर्देशन में श्री नमोनारायण कानि0 नं0 453 को परिवादी श्री मनोज शर्मा के साथ उसकी प्राईवेट मोटरसाईकिल, श्री प्रदीप कुमार कानि0 नं0 245 व श्री मनीष कुमार कानि0 नं0 315 को सरकारी मोटरसाईकिल एवं मन् उपअधीक्षक पुलिस मय श्रीमती प्रीती चैची पुलिस निरीक्षक, चौकी जयपुर नगर द्वितीय, भ्र0नि०ब्यूरो, जयपुर मय श्री ब्रहमप्रकाश हैड कानि. 99, श्रीमती पिंकी महिला कानि. नं0 11, श्रीमती ममता राठौड़ म0 कानि0 नं0 251 मय स्वतंत्र गवाहन श्री नमोनारायण मीणा कनिष्ठ सहायक व श्री हेमचन्द कुमावत फायरमेन व मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर व आवश्यक सामग्री मय सरकारी वाहनो आरजे 14 यूडी 1395 चालक श्री बाबुलाल कानि0 नं0 563 तथा आरजे 14 यूडी 1392 चालक श्री रामप्रसाद कानि0 नं0 656 के वास्ते करने गोपनीय कार्यवाही ब्यूरो कार्यालय हाजा से हनुमान नगर विस्तार जयपुर की ओर रवाना हुए। समय 4.30 पीएम पर मन् उपअधीक्षक पुलिस मय समस्त ट्रेप टीम हनुमान नगर विस्तार से पुर्व सिरसी तिराहे, वैशाली नगर, जयपुर के पास पहुंचे, जहां पर श्री नमोनारायण कानि0 के साथ परिवादी श्री मनोज शर्मा एवं श्री प्रदीप कुमार कानि0 व श्री मनीष कुमार कानि0 भी पहुंचे, जहां पर वाहनो रोड़ के साईड में खड़ा करवाया तथा आरोपिया के फोन इंतजार में मुकीम हुए। आरोपिया का फोन परिवादी के पास नही आने पर मन् उप अधीक्षक पुलिस ने समय 4.49 पीएम पर श्री नमोनारायण कानि0 से वाईस रिकार्डर चालु करवाकर परिवादी के मोबाईल नम्बर 7230022500 से संदिग्ध श्रीमती जया शेखावत के मोबाईल नम्बर 8561904396 पर ऑपन स्पीकर कराकर कॉल करवाया गया, परन्तु आरोपिया द्वारा फोन नही उठाया गया तत्पश्चात् तुरन्त ही आरोपिया का फोन आया, उक्त वार्ता में "परिवादी ने संस्कार स्कुल के पास आने के बारे में बताने पर आरोपिया ने आने

fon

की कहा गया" उक्त वार्ता को वाईस रिकार्डर में रिकार्ड कर वाईस रिकार्डर बंद करवाया गया। इस मन् टीएलओ द्वारा परिवादी श्री मनोज शर्मा को वक्त रिश्वत राशि लेन-देन में आरोपिया द्वारा रिश्वती राशि किस हाथ से प्राप्त करती व कहां रखती है का ध्यान रखने की मुनासिब हिदायत दी गई। परिवादी श्री मनोज शर्मा को समय 4.53 पीएम पर श्री नमोनारायण कानि0 नं0 453 द्वारा विभागीय डिजीटल वाईस रिकार्डर चालू कर सुपुर्द कर उनकी प्राईवेट मोटरसाईकिल से खाना किया तथा मन उप अधीक्षक पुलिस मय एसीबी टीम के परिवादी के ईशारे के इंतजार में छुपाव हासिल करते हुये मुकिम हुये। तत्पश्चात परिवादी श्री मनोज शर्मा आरोपिया श्रीमती जया कंवर शेखावत द्वारा बताये गये निर्धारित स्थान संस्कार स्कुल के सामने, विश्वमित्र मार्ग, हनुमान नगर विस्तार, जयपुर पर आरोपिया के आने के इंतजार में मुकीम हुए। तत्पश्चात् कुछ समय बाद आरोपिया श्रीमती जया कंवर शेखावत सफेद कलर मारूती सुजुकी सेलेरियो कार नम्बर आरजे 45 सीके 6487 में परिवादी श्री मनोज शर्मा के पास आकर रूकी, जिस पर परिवादी आरोपिया की कार में ड्राईवर के पास वाली आगे की सीट पर बैठ गया। मन उप अधीक्षक पुलिस मय स्वतंत्र गवाहान व एसीबी टीम के के साथ गोपनीय रूप से परिवादी के निर्धारित ईशारा के इंतजार में संदिग्ध की कार के आसपास ट्रेप जाल बिछाया। आरोपिया ने कार को धीरे-धीरे चलाकर विश्वमित्र मार्ग से सिरसी रोड़ के तिराये से घुमकर संस्कार स्कूल के सामने, खिरणी पाटक की तरफ जाने साईड पर आकर रोका। तत्पश्चात् परिवादी ने कार से नीचे उतरकर समय 5.09 पीएम पर निर्धारित ईशारा किया, जिस पर मन उप अधीक्षक पुलिस ने मय दोनो स्वतंत्र गवाहन व एसीबी टीम के संदिग्ध की कार के पास पहुंचकर घेरा डालकर मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा पूर्व में सुपुर्द किये गये वॉईस रिकॉर्डर को प्राप्त कर बंद कर सुरक्षित अपने पास रखा। तत्पश्चात परिवादी से पूछा तो उसने कार में डाईवर सीट पर बैठी महिला की तरफ ईशारा कर बताया कि ये श्रीमती जया कंवर शेखावत है, जिनको मैंने संस्कार स्कूल के सामने उनके कहने पर गाड़ी में आगे की सीट उनके बच्चे के पास बैठ गया, जैसे ही उन्होने धीरे-धीरे कार चलाई और ईशारा कर रिश्वती राशि के 15,000/- रूप्ये डेस्क बार्ड में रखने के लिए कहा, जिस पर मैंने रिश्वती राशि 15,000/- रूप्ये डेस्क बोर्ड में रख दिये। तत्पश्चात मन उप अधीक्षक पुलिस ने श्री जया कंवर शेखावत को अपना व एसीबी टीम व स्वतंत्र गवाहान का परिचय दिया तो आरोपिया श्रीमती जया कंवर शेखावत कार से नीचे उतर कर एसीबी टीम के घेरे को तोड़कर भागने का प्रयास किया परन्तु आरोपिया फिसल कर नीचे गिर गई, जिसको मन् टीएलओ ने श्रीमती पिंकी कंवर म0 कानि0 नं0 11 व श्रीमती ममता राठौड म0 कानि0 नं0 251 से उठाकर डिटेन करवाकर सावधानीपूर्वक श्रीमती पिंकी कंवर म0 कानि0 नं0 11 से आरोपिया श्रीमती जया कंवर शेखावत का कलाई से उपर बांया हाथ व श्रीमती ममता राठौड म0 कानि0 नं0 251 की कलाई से उपर दांया हाथ पकडवाया गया। आरोपिया को उसका नाम पता पूछा गया तो उसने अपना नाम पता श्रीमती जया कंवर शेखावत पुत्री महेन्द्र सिंह शेखावत उम्र 37 साल निवासी सी-138, सिंह भूमि, खातीपुरा, पुलिस थाना वैशाली नगर, जयपुर हाल निरीक्षक कार्यकारी, कार्यालय उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, जयपुर शहर, कमरा नं0 608, पांचवी मंजिल मिनि सचिवालय, जयपुर (निष्पादन अधिकारी, स्ट्रलिंग अरबन को-ऑपरेटिव बैंक लि0 एवं न्यायालय उप रजिस्ट्रार सहकारी सिमितिया, जयपुर (शहर) बताया व कार बच्चे के सम्बंध पुछा तो आरोपिया ने भव्यराज सिंह उम्र 5 साल स्वयं का बच्चा होना बताया। इस पर मन् उपअधीक्षक पुलिस ने रिश्वती राशि के 15,000/- रूप्ये के बारे में पूछा तो आरोपिया ने परिवादी से रिश्वती राशि नहीं लेना बताया और कहा मैंने कोई रिश्वती राशि मनोज जी से नहीं ली है, इस पर परिवादी ने कहा कि मेरे द्वारा स्ट्रलिंग अरबन को-ऑपरेटिव बैंक लि0 से लिए गए आवासीय ऋण को चुकाने के लिए समय दिलवाने व कुर्की को आगे बढाने की एवज में 15,000/- रिश्वती राशि इनके कहने पर मैंने कार की डेस्कबोर्ड में रखे थे, जिस पर स्वतन्त्र गवाह श्री हेमचन्द कुमावत से गाड़ी की डेस्क बोर्ड की तलाशी लिवाई गई तो खुली अवस्था 500-500 के नोट मिले, जिनको स्वतंत्र गवाहन से फर्द पेशकशी से मिलवाकर गिनवाया तो उक्त 500-500 के 30 नोट कुल 15,000/- रूपये हुबहु होना बताया, जिस पर मन् उपअधीक्षक पुलिस ने उक्त नोट स्वतंत्र गवाह श्री हेमचन्द कुमावत के पास सुरक्षित रखवाये एवं मन् टीएलओ द्वारा

19m

आरोपिया द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा मोबाईल फोन को पेश करने के लिए कहा तो आरोपिया ने एक मोबाईल एप्पल कंपनी का पेश किया, जिसे स्वतंत्र गवाह श्री नमोनारायण मीणा के पास सुरक्षित रखवाया गया। चूंकि उक्त स्थान भीडभाड वाला व सडक के उपर स्थित है तथा बारिश होने की वजह से उक्त स्थान पर आगे की कार्यवाही किया जाना सुरक्षा की दृष्टि से उचित प्रतीत नहीं होता है। इस पर आरोपिया की कार में ही श्रीमती प्रीति चैची पुलिस निरीक्षक के साथ आरोपिया श्रीमती जया कंवर शेखावत मय बच्चा भव्यराज सिंह को श्रीमती पिंकी कंवर म0 कानि0 नं0 11 व श्रीमती ममता कंवर राठौड़ म0 कानि0 नं0 को बिठाकर उक्त कार को हमराह लेकर शेष समस्त ट्रेप टीम मय स्वतंत्र गवाहन के आगे की कार्यवाही हेतु उक्त स्थान से नजदीक के सुरक्षित स्थान पुलिस थाना वैशाली नगर, जयपुर के लिए रवाना हुआ। हमराह एसीबी टीम को भी पुलिस थाना वैशाली नगर में पहुंचने के निर्देश दिये गये। समय 05.30 पीएम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय आरोपिया श्रीमती जया कंवर शेखावत मय स्वतंत्र गवाहन व समस्त ट्रेप टीम के पुलिस थाना वैशाली नगर पहुंचे। अतः नियमानुसार अनुमित लेकर आगे की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है। परिवादी, दोनो स्वतन्त्र गवाहान व एसीबी स्टाफ के सामने मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा आरोपिया श्रीमती जया कंवर शेखावत को तसल्ली देकर रिश्वत के रूप में लिए गये रूपयों के बारे में पूछा गया तो आरोपिया ने बताया कि मेरे द्वारा मनोज जी से कोई रूपये नहीं लिए है और ना ही मेरे द्वारा कोई रिश्वती राशि कार में रखवाई है मैंने मनोज जी से कोई रिश्वती राशि नहीं मांगी है मेरा हैल्पपूल नेचर होने की वजह से मनोज जी के प्लॉट की कुर्की में हेल्प कर रही थी। मन् टीएलओ द्वारा आरोपिया से बार-बार पूछने पर भी पुन: उपरोक्त कथन दोहराया। इस पर मन् टीएलओ द्वारा परिवादी श्री मनोज शर्मा से पूछा तो उसने बताया कि मैंने स्ट्रलिंग अरबन को-ऑपरेटिव बैंक लि0 से मकान लेने के लिए आवासीय ऋण लिया था, आर्थिक तंगी की वजह मैं किश्त नहीं चुका पाया था, इस पर मेरे मकान की कुर्की के आदेश जारी हो गये, जिसमें श्रीमती जया कंवर शेखावत निस्पादन अधिकारी थे, जिनसे मैं मेरे बकाया आवासीय ऋण के भूगतान के लिए समय देने का निवेदन किया तो जया कंवर शेखावत ने 25,000/- रूप्ये रिश्वती राशि की मांग की थी, जिस पर रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 10.08.2022 को इन्होने मेरे से 15,000/-रूपये रिश्वती राशि लेना तय होने पर आज इन्होने मेरे से कार में रिश्वती राशि के 15,000/- रूपये डेस्क बोर्ड में रखने की कहकर ईशारा किया था, जिस पर मेरे द्वारा रिश्वती राशि कार की डेस्क बोर्ड में रखी गई थी। मन् उप अधीक्षक पुलिस के पास सुरक्षित रखा वाईस रिकॉर्डर में परिवादी व आरोपिया की वक्त रिश्वत राशि लेन-देन की रिकॉर्डेड वार्ताओं को सुना गया तो रिश्वत राशि लेन-देन के तथ्यों की पुष्टी हुई। मन् उप अधीक्षक पुलिस के समक्ष आरोपिया के भाई श्री रजत सिंह उपस्थित आये, जिनको आरोपिया के कहने पर भव्यराज सिंह को सम्भलाया। तत्पश्चात मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा आरोपिया श्रीमती जया कंवर शेखावत के हाथो व कार के डेस्कबोर्ड के स्थान जहां पर आरोपिया द्वारा प्राप्त रिश्वती राशि 15,000/-रूपये को परिवादी से रखवाये थे का धोवन लेने की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। तत्पश्चात् ट्रेप बॉक्स से दो साफ कांच की गिलास निकलवाकर, बोतल से साफ पानी मंगवाकर ट्रेप बॉक्स में रखे सोडियम कार्बोनेट पाउडर की शीशी निकालकर कांच के तीन गिलासो में एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाया गया। तैयारशुदा घोल को स्वतंत्र गवाहान व समस्त हाजरिन को दिखाया गया तो सभी ने घोल के रंग को रंगहीन होना स्वीकार किया। तत्पश्चात् उक्त कांच के एक गिलास के घोल में आरोपिया के दाहिने हाथ की अंगुलियां व अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग रंगहीन रहा, जिसे समस्त हाजरिन व स्वतंत्र गवाहान को दिखाया गया तो सभी ने घोल के रंग को रंगहीन होना स्वीकार किया, जिसे दो साफ कांच की शीशीयों में आधा-आधा डालकर सिल चिट मोहर मार्क R-1, R-2 अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा ए०सी०बी० लिया गया। तत्पश्चात् इसी प्रक्रियानुसार दुसरे कांच के गिलास के घोल में आरोपी के बांये हाथ की अंगूलियां व अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग रंगहीन ही रहा, जिसे समस्त हाजरिन को दिखाया गया तो सभी ने धोवन का रंग रंगहीन होना स्वीकार किया, जिसे दो कांच की साफ शिशियों में आधा-आधा डालकर सिल चिट मोहर कर मार्क L-1,

190m

L-2 अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात् आरोपिया श्रीमती जया कंवर शेखावत द्वारा परिवादी से प्राप्त रिश्वती राशि को रखवाये गये स्थान कार के डेस्कबोर्ड जहां से रिश्वत राशि बरामद हुई थी, उक्त स्थान का धोवन लेने के लिए हमराह स्वतंत्र गवाहन को लेकर थाने के बाहर खड़ी सफेद कलर मारूती सुजुकी सेलेरियो कार नम्बर आरजे 45 सीके 6487 के पास पहुंचकर कार का लॉक खुलवाकर आगे के कार के डेस्कबोर्ड जहां पर रिश्वती राशि बरामद हुई थी उक्त स्थान को कपड़े की चिन्दी से रगड कर उक्त चिन्दी को तीसरे कांच के गिलास के घोल में डुबोकर धोया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया। जिसे दो कांच की साफ शिशियों में आधा-आधा डालकर सिल चिट मोहर कर मार्क D-1, D-2 अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। कपड़े की चिन्दी को बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया जाकर, संबंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर कपड़े की थैली में रखकर सील मोहर कर कपड़े की थैली पर मार्क C अकिंत किया गया। आरोपिया श्रीमती जया कंवर शेखावत की कार के डेस्क बोर्ड से बरामद हुई 500-500 रूपयों के 30 नोट कुल 15,000/-रूपये पाये गये, उक्त रिश्वती राशि को स्वतंत्र गवाह श्री हेमचन्द कुमावत के पास सुरक्षित रखवाई गई थी को निकलवाकर दोनो स्वतंत्र गवाहन से पूर्व में बनाई गई फर्द पेशकशी एवं दृष्टांत फिनोलफ्थलीन पाउडर में अंकित नम्बरो से पुनः मिलान करवाया गया तो हुबहु वही नम्बरी नोट होना पाए गए। आरोपिया श्रीमती जया कंवर शेखावत से बरामद शुदा उपरोक्त रिश्वती राशि 15,000/- रूपये के नम्बरी नोटो को एक साईड से सफेद कागज के साथ सिलकर सिल चिट मोहर कर मार्क "M" अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा ए०सी०बी० लिए गए। आरोपिया श्रीमती जया कंवर शेखावत द्वारा पेश एक मोबाईल फोन एप्पल कंपनी का स्वतंत्र गवाह श्री नमोनारायण मीणा के पास सुरक्षित रखवाया था का अवलोकन किया गया तो उक्त मोबाईल बरंग सफेद, मॉडल एप्पल आईफोन SE, IMEI 356778116259384, IMEI 356778116367997 जिसमें एक एयरटेल कंपनी सिम नम्बर 9509738801 व दूसरी जियो कंपनी सिम नम्बर 8619088323 लगी हुई होना पाया गया। उक्त मोबाईल को वास्ते अनुसंधान प्रयोजनार्थ एसीबी कब्जा लिया गया। आरोपिया श्रीमती जया कंवर शेखावत को विभागीय डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान विभिन्न वार्ताओ दिनांक 08.08.2022, 10.08. 2022 एवं रिश्वत राशी लेन-देन के समय रिकॉर्ड हुई वार्ता का स्वयं की आवाज से मिलान करवाने हेतु नमूना आवाज देने का पृथक से नोटिस दिया गया, जिस पर आरोपिया ने अपनी आवाज का नमूना देने से लिखित में इन्कार किया। आरोपिया श्रीमती जया कंवर शेखावत, हाल निरीक्षक कार्यकारी, कार्यालय उप रजिस्ट्रार सहकारी सिमितियां, जयपुर शहर को परिवादी श्री मनोज शर्मा के प्लाट नम्बर 205,206 फ्रेन्डस कोलोनी, गोविन्दपुरा निवारू लिंग रोड़, झोटवाड़ा जयपुर का स्ट्रलिंग अरबन को-ऑपरेटिव बैंक लि0 के आवासीय ऋण की वसुली के लिए जारी कुर्की वारण्ट का निष्पादन अधिकारी न्यायालय उप रजिस्ट्रार, सहकारी सिमतिया, जयपुर (शहर) द्वारा नियुक्त किया गया था, आरोपिया श्रीमती जया कंवर शेखावत ने लोकसेवक के पद पर होते हुए अपने पदीय कर्तव्यो दुरूपयोग कर वैध पारिश्रमण से भिन्न अवैध पारिश्रमिक प्राप्त करने के आशय से परिवादी के स्वामित्व के प्लाट का जारी कुर्की वारण्ट में दिलवाने व आवासीय ऋण के भूगतान हेतु समय देने एवज में 25 हजार रूपये रिश्वती राशि की मांग करना व रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 10.08.2022 को आरोपिया ने 20,000/- हजार रूपये रिश्वती राशि की मांग कर 15,000/- रूपये रिश्वती राशि लेने की सहमित दी थी, जिसके अनुसरण में आज दिनांक 12.08. 2022 को रिश्वत लेन-देन के दौरान आरोपिया श्रीमती जया कंवर शेखावत द्वारा परिवादी से 15,000/-रूपये रिश्वती राशि प्राप्त करने का कृत्य जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (संशोधित) 2018 प्रथम दृष्टया गठित पाया गया है। अतः आरोपिया श्रीमती जया कंवर शेखावत पुत्री महेन्द्र सिंह शेखावत उम्र 37 साल निवासी सी-138, सिंह भूमि, खातीपुरा, पुलिस थाना वैशाली नगर, जयपुर हाल निरीक्षक कार्यकारी, कार्यालय उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, जयपुर शहर, कमरा नं0 608, पांचवी मंजिल मिनि सचिवालय, जयपुर (निष्पादन अधिकारी, स्ट्रलिंग अरबन को-ऑपरेटिव बैंक लि0 एवं न्यायालय उप रजिस्ट्रार सहकारी समितिया, ज्यपुर (शहर) को

19m

जुर्म से आगाह कर नियमानुसार जिरये फर्द गिरफ्तार किया गया। तत्पश्चात परिवादी श्री मनोज शर्मा की निशानदेही से दोनों स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष घटना-स्थल का नक्शा-मौका पृथक से मुर्तिब किया गया। आरोपिया श्रीमती जया कंवर शेखावत की मारूती सुजुकी सेलेरियो कार नम्बर आरजे 45 सीके 6487 की स्वतंत्र गवाहन के समक्ष तलाशी ली गई तो उक्त कार में आरोपिया श्रीमती जया कंवर शेखावत, निष्पादन अधिकारी, स्ट्रलिंग अरबन को-ऑपरेटिव बैंक लि0 एवं न्यायालय उप रिजस्ट्रार, सहकारी समितियां, जयपुर (शहर) के कार्यालय पत्रांक SP-1 दिनांक 29.07. 22(ओवर राईट किया हुआ) से परिवादी श्री मनोज शर्मा को जारी कुर्की व कब्जा पुर्व डिमांड नोटिस प्रति प्राप्त हुई, जिसको सम्बंधितो के हस्ताक्षर कराकर कब्जा एसीबी लिया गया। इसके अलावा कार में कोई संदिग्ध वस्तु या दस्तावेजात नहीं पाये गये, उक्त कार को कब्जा एसीबी लिया गया। आर्टिकल सीलमोहर करने में एसीबी जयपुर की सील काम में ली गई ब्रास सील का नमूना फर्द में अंकित किया गया। फर्द हाजा मुर्तिब की जाकर सम्बन्धितों को पढकर सुनाई गई, सुन समझ सही होना मानकर सभी ने अपने अपने हस्ताक्षर किये। परिवादी श्री मनोज शर्मा व आरोपिया के मध्य रिश्वत मांग सत्यापन व रिश्वत लेन-देन के दौरान हुई रिकार्डेड वार्ता का फर्द वार्ता रूपान्तरण आइन्दा तैयार कर शामिल पत्रावली किया जावेगा।

अब तक की कार्यवाही एवं विभागीय डिजीटल वाईस रिकार्डर में रिकार्ड मांग सत्यापन एवं रिश्वत लेन-देन वार्ताओं से आरोपिया श्रीमती जया कंवर शेखावत, हाल निरीक्षक कार्यकारी, कार्यालय उप रिजस्ट्रार सहकारी सिमितियां, जयपुर शहर को परिवादी श्री मनोज शर्मा के प्लाट नम्बर 205,206 फ्रेन्डस कोलोनी, गोविन्दपुरा निवारू लिंग रोड़, झोटवाड़ा जयपुर का स्ट्रलिंग अरबन को-ऑपरेटिव बैंक लि0 के आवासीय ऋण की वसुली के लिए जारी कुर्की वारण्ट का निष्पादन अधिकारी न्यायालय उप रिजस्ट्रार, सहकारी सिमितिया, जयपुर (शहर) द्वारा नियुक्त किया गया था, आरोपिया श्रीमती जया कंवर शेखावत ने लोकसेवक के पद पर होते हुए अपने पदीय कर्तव्यो दुरूपयोग कर वैध पारिश्रमण से भिन्न अवैध पारिश्रमिक प्राप्त करने के आशय से परिवादी के स्वामित्व के प्लाट का जारी कुर्की वारण्ट में समय दिलवाने व आवासीय ऋण के भूगतान हेतु समय देने एवज में 25 हजार रूपये रिश्वती राशि की मांग करना व रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 10.08.2022 को आरोपिया ने 20,000/- हजार रूपये रिश्वती राशि की मांग कर 15,000/- रूपये रिश्वती राशि लेने की सहमित दी थी, जिसके अनुसरण में आज दिनांक 12.08.2022 को रिश्वत लेन-देन के दौरान आरोपिया श्रीमती जया कंवर शेखावत द्वारा परिवादी से 15,000/- रूपये रिश्वती राशि प्राप्त करने का उक्त कृत्य जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (संशोधित) 2018 का घटित होना पाया गया।

अतः आरोपिया श्रीमती जया कंवर शेखावत पुत्री श्री महेन्द्र सिंह शेखावत, जाति राजपूत, उम्र 37 साल निवासी:-सी-138, सिंह भूमि खातीपुरा जयपुर हाल निरीक्षक कार्यकारी सहकारी सिमितियां जयपुर कार्यालय उप रजिस्ट्रार सहकारी सिमितियां जयपुर के विरूद्ध बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन प्रेषित है।

भवदीय,

(राजेन्द्र कुमार मीणा) उप अधीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर-तृतीय, जयपुर।

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री राजेन्द्र कुमार मीणा, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर-तृतीय, जयपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से अपराध अन्तर्गत धारा ७ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपिया श्रीमती जया कंवर शेखावत, निरीक्षक कार्यकारी, कार्यालय उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, जयपुर शहर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अत: अपराध संख्या 316/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

कमांक 2769-73 दिनांक 13.8.2022

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

- विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जयपुर कम संख्या-1, जयपुर।
- 2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
- 3. रजिस्ट्रार, सहकारी सिमितियां, राजस्थान, नेहरू मार्ग, सहकार भवन जयपुर।
- 4. पुलिस अधीक्षक-प्रथम, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
- 5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर-तृतीय, जयपुर।

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।